एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

2010 की रिट याचिका **(**एस**)** संख्या **4316**

रामधनी शुक्ला पुत्र स्वर्गीय बी.डी. शुक्ला, उम्र लगभग 48 वर्ष, जूनियर कंसोल ऑपरेटर, टी एंड एस ग्रेड 'बी', जी.एम. कार्यालय, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छ.ग.)

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के माध्यम से, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (सी.जी.)

2. निदेशक (कार्मिक), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

3. मुख्य महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, चिरमिरी क्षेत्र, जिला कोरिया (छ.ग.)

4. सुनील कुमार सिंह, प्रोग्रामर असिस्टेंट/कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए, जीएम ऑफिस, एसईसीएल, गेवरा एरिया, कोरबा, जिला कोरबा (सी.जी.)

5. सुभिजीत गोस्वामी, प्रोग्रामर असिस्टेंट/कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए, जीएम ऑफिस, एसईसीएल, गेवरा एरिया, कोरबा, जिला कोरबा (सी.जी.)

6. रेमंत कुमार गवेल, प्रोग्रामर असिस्टेंट/कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए, जीएम ऑफिस, एसईसीएल गेवरा एरिया, कोरबा, जिला कोरबा (सी.जी.)

---- उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं क्रमांक 1 से 3/एसईसीएल के लिए : श्री सुधीर कुमार बाजपेई, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरदाताओं क्रमांक 4 से 6 के लिए : श्री राजकमल सिंह, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल
बोर्ड पर आदेश

04/08/2021

1. इस मामले की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है.

2. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस के प्रमोशनल पद के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए आधिकारिक उत्तरदाताओं को उचित रिट/दिशा-निर्देश देने की मांग की है। ग्रेड-ए 4-9-2008 से प्रभावी है, यानी वह तारीख जिस दिन उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 (जूनियर) को कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर पदोन्नत किया गया था और 4-9-2008 से उक्त पद पर वरिष्ठता, वेतन आदि जैसे सभी परिणामी लाभ भी चाहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए यह रिट याचिका दायर की है कि उसे शुरू में 26-11-1986 को जनरल मजदूर श्रेणी- I के पद पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में चुना गया था और बाद में, उसे जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ई के पद पर पदोन्नत किया गया था और अंत में, उसे कैडर स्कीम के अनुसार 30-8-2002 को जूनियर कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-बी के रूप में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 2008 में, प्रोग्रामर असिस्टेंट / कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद के लिए रिक्तियां निकलीं और कैडर स्कीम के अनुसार, याचिकाकर्ता और

उत्तरदाता नंबर 4 से 6 पात्र थे और उनके मामलों पर 21-7-2008 को बुलाई गई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में रिट याचिका के अनुलग्नक पी -5, पृष्ठ 23 के तहत कैडर स्कीम के अनुसार विचार किया गया है। लागू मानदंड यानी योग्यता-सह-वरिष्ठता और उक्त समिति ने कार्यप्रणाली अपनाई, जिसमें प्रावधान है कि 60 अंक योग्यता के लिए और 40 अंक वरिष्ठता के लिए रखे गए थे और 70 अंक पदोन्नति में पात्रता के लिए कटऑफ अंक के रूप में तय किए गए थे। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसने 96 अंक हासिल किए हैं, जबकि निजी उत्तरदाताओं यानी उत्तरदाताओं नंबर 4 से 6 में से प्रत्येक ने 90 अंक हासिल किए हैं, लेकिन डीपीसी ने याचिकाकर्ता को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए उत्तरदाताओं नंबर 4 से 6 सहित 7 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की और इस तरह योग्यता-सह-वरिष्ठता के लागू मानदंडों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता-सह-योग्यता के मानदंड को अपनाया, इसलिए, याचिकाकर्ता पदोन्नति पद से वंचित है। 4-9-2008, हालाँकि बाद में उन्हें 25-1-2011 को पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन वह हैं 4-9-2008 से कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर विचार किए जाने और पदोन्नत किए जाने का हकदार है क्योंकि उनके कनिष्ठ - उत्तरदाता संख्या 4 से 6 को उक्त तिथि पर पदोन्नत किया गया था और वह पदोन्नति लाभों के भी हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 / एसईसीएल ने मुख्य रूप से यह कहते हुए रिटर्न दाखिल किया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को 25-1-2011 से कंसोल

ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए, रिट याचिका निरर्थक हो गई है। यह भी कहा गया है कि यद्यपि जूनियर कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-बी के कैडर में वरिष्ठता के अनुसार, उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 के नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 10, 15 और 21 पर थे, उन्हें याचिकाकर्ता से ऊपर रखा गया था जो क्रम संख्या 25 पर था। ऐसे में याचिकाकर्ता को 4-9-2008 से पदोन्नति न देना कानून के मुताबिक है और याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

5. निजी उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 ने भी एसईसीएल/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर रिटर्न के अनुरूप रिटर्न दाखिल किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री चंद्रेश श्रीवास्तव ने कहा कि स्वीकार्य और निर्विवाद रूप से, कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पदोन्नति पद पर पदोन्नति का मानदंड योग्यता-सह-वरिष्ठता था और निर्धारित बेंच मार्क में, याचिकाकर्ता ने 96 अंक हासिल किए, लेकिन उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 ने याचिकाकर्ता की तुलना में कम अंक हासिल किए, फिर भी वरिष्ठता-सह-योग्यता के मानदंडों को लागू करते हुए, उन्हें याचिकाकर्ता को छोड़कर पदोन्नत किया गया है जो कि विपरीत है। बी.वी. सिवैया और अन्य बनाम के. अद्दंकी बाबू और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में निर्धारित सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार[1] इसके बाद राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके

---

1 (1998) 6 एससीसी 720

आधिपत्य द्वारा पालन किया गया others v. Samyut Kshetriya Gramin Bank and others[2] और इसलिए उचित रिट जारी कर निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता 4-9-2008 से कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के रूप में पदोन्नत होने का हकदार है और सभी परिणामी सेवा लाभों का भी हकदार है।

7. एसईसीएल/प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुधीर कुमार बाजपेयी प्रस्तुत करेंगे कि याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि याचिकाकर्ता को कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर 25-1-2011 से पहले ही पदोन्नति दी जा चुकी है। अन्यथा भी, हालांकि याचिकाकर्ता ने 96 अंक हासिल किए हैं, लेकिन चूंकि कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-बी के पद पर वरिष्ठता सूची में निजी उत्तरदाता संख्या 4 से 6 याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे, इसलिए, उन्हें याचिकाकर्ता से ऊपर रखा गया और याचिकाकर्ता को बाद में 25-1-2011 से पदोन्नति प्रदान की गई, इस प्रकार, रिट याचिका का कोई औचित्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राजकमल सिंह, एसईसीएल/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान वकील श्री बाजपेयी की दलीलों को अपनाएंगे और यह प्रस्तुत करेंगे कि उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 को कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर उचित रूप से पदोन्नत किया गया था।

9. मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और यहां ऊपर दी गई उनकी

---

2 (2010) 1 एससीसी 335

प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है। 10. 28-8-2008 को डीपीसी की बैठक में कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 4 से 6 और अन्य व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया गया। कैडर योजना के अनुसार जो उक्त पद पर पदोन्नति के लिए लागू है यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कार्मिक (कैडर) के लिए कैडर योजना योजना संख्या तदनुसार, डीपीसी ने याचिकाकर्ता, निजी उत्तरदाताओं और अन्य व्यक्तियों सहित पात्र उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया और न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में 100 में से 70 अंक तय किए और व्यक्ति को 70 अंक मिले।+ कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पदोन्नति पद पर विचार के लिए पात्र होंगे। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के संबंध में उत्कृष्ट के लिए 20 अंक, बहुत अच्छा के लिए 18 अंक तथा अच्छा के लिए 16 अंक निर्धारित किये गये थे। तदनुसार, डीपीसी ने सात उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया और डीपीसी का विवरण डीपीसी द्वारा तैयार किया गया, जो रिट याचिका के पृष्ठ 12 पर उपलब्ध है, जिसमें हालांकि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 8 पर था, लेकिन उसने 96 अंक प्राप्त किए हैं, हालांकि, सुनील कुमार सिंह, सुभिजीत गोस्वामी और रेमंत कुमार गवेल - क्रमशः उत्तरदाता संख्या 4, 5 और 6 ने 100 में से प्रत्येक को 90 अंक प्राप्त किए और उन्हें पदोन्नत किया गया है। एसईसीएल के विद्वान वकील की दलील यह है कि चूंकि वे जूनियर कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-बी के कैडर में वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ थे, इसलिए, उन्हें कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पदोन्नति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पद से याचिकाकर्ता को छोड़कर / बाहर कर दिया गया है, हालांकि मानदंड योग्यता-सह-वरिष्ठता है।

11. जानकी प्रसाद परिमू और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ[33] ने स्पष्ट रूप से माना है कि चयन का मतलब है कि पदोन्नति के लिए चुना गया व्यक्ति योग्य होना चाहिए। जहां पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होती है, वहां योग्यता दूसरे स्थान पर होती है, लेकिन जब चयन होता है, तो योग्यता पहले स्थान पर होती है स्थान और ऐसे चयन में यह अंतर्निहित है कि आदमी सिर्फ औसत नहीं होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके बाद, फिर से, अजीत सिंह और अन्य (द्वितीय) बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया[4] (संविधान पीठ) ने एक ओर वरिष्ठता के मानदंडों और दूसरी ओर योग्यता पर विचार करने की आवश्यकता वाले किसी भी नियम के संचालन में अंतर की ओर इशारा किया और निम्नानुसार कहा: -

> "23. ... यदि पदोन्नति "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के नियम के अनुसार होती है, तो उस स्तर पर तय की गई वरिष्ठता के अनुसार बुनियादी स्तर पर पात्र वरिष्ठ और जो विचार के क्षेत्र में हैं, उन्हें पहले पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए और उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। पदोन्नत श्रेणी में उन्हें अपनी वरिष्ठता की गणना ऐसी पदोन्नति की तिथि से करनी होगी क्योंकि उन्हें पदोन्नति समान अवसर की प्रक्रिया के माध्यम से मिलती है। इसी प्रकार, यदि बुनियादी स्तर से

3 एआईआर 1973 एससी 930

4 (1999) 7 एससीसी 209

पदोन्नति चयन या योग्यता या योग्यता पर विचार करने वाले किसी नियम से होती है, तो बुनियादी स्तर पर जो वरिष्ठ पात्र है, उस पर विचार करना होगा और यदि दूसरों की तुलना में मेधावी पाया जाता है, तो उसे पहले पदोन्नत करना होगा। यदि वह इतना मेधावी नहीं पाया जाता है, तो वरिष्ठता क्रम में अगले पर विचार किया जाना चाहिए और यदि वरिष्ठता सूची में पहले व्यक्ति की तुलना में योग्य और अधिक मेधावी पाया जाता है, तो उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, जिस व्यक्ति को पहली बार पदोन्नत किया गया है, उसकी वरिष्ठता आमतौर पर ऐसी पदोन्नति की तारीख से गिनी जाएगी। (ऐसे पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता की गिनती के मामले में विभिन्न सेवाओं में मामूली संशोधन होते हैं लेकिन सभी मामलों में बुनियादी स्तर पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को पहले माना जाता है और फिर वरिष्ठता की पंक्ति में अन्य को।) इस प्रकार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना सही है और इस तरह की पदोन्नति से जुड़ी "वरिष्ठता" अनुच्छेद 16 (1) में गारंटीकृत मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण पहलू बन जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. बी.वी. सिवैया (सुप्रा) में वरिष्ठता-सह-योग्यता और योग्यता-सह-वरिष्ठता के बीच अंतर को परिभाषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य में यह माना गया है कि योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत वरिष्ठता के दौरान योग्यता और क्षमता पर अधिक जोर देता है कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे रिपोर्ट के पैराग्राफ 9, 10 और 18 में निम्नानुसार देखा गया है: -

> “9. "योग्यता-सह-वरिष्ठता" का सिद्धांत योग्यता और क्षमता पर अधिक जोर देता है और वरिष्ठता कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वरिष्ठता को महत्व तभी दिया जाना चाहिए जब योग्यता और योग्यता लगभग बराबर हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के नियम 5(2) के संदर्भ में, जो निर्धारित करता है कि "ऐसी सूची में शामिल करने के लिए चयन वरिष्ठता

को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा" मैथ्यू, जे. भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर[5] ने कहा है: (एससीसी पृष्ठ 856, पैरा 37)

> "[एफ] या सूची में शामिल होना, योग्यता और उपयुक्तता सभी में
> सम्मान शासी विचार होना चाहिए और
> कि वरिष्ठता को केवल गौण भूमिका निभानी चाहिए। यह है
> केवल तभी जब योग्यता और उपयुक्तता लगभग बराबर हो
> वरिष्ठता एक निर्धारक कारक होगी, या यदि नहीं है
> आपस में मूल्यांकन करना काफी संभव है
> दो पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता एवं उपयुक्तता तथा
> किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचें, वरिष्ठता का झुकाव
> होगा पैमाना।"

इसी तरह, बेग, जे. (तब विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने कहा है: (एससीसी पृष्ठ 851, पैरा 22)

> "22. इस प्रकार, हम सोचते हैं कि सही दृष्टिकोण, में है में प्रयुक्त शब्दों के स्पष्ट अर्थ के अनुरूप प्रासंगिक नियम यह है कि 'प्रवेश' या 'समावेशन' चयन सूची में स्थान के लिए परीक्षण, प्रतिस्पर्धी और है तुलनात्मक रूप से सभी पात्र उम्मीदवारों पर लागू होता है और नहीं किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक के समान न्यूनतम। चयन समिति के पास अप्रतिबंधित विकल्प हैं योग्य लोगों में से सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा उम्मीदवार, उचित के संदर्भ में निर्धारित द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों का आकलन करने में लागू मानदंड सभी पात्र उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड ताकि योग्यता हो
> और केवल वरिष्ठता ही शासकीय कारक नहीं है।"

10. दूसरी ओर, वरिष्ठता और योग्यता के दो सिद्धांतों के बीच, "वरिष्ठता-सह-योग्यता" की कसौटी वरिष्ठता पर अधिक जोर देती है। में मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद मैसूर[6] राज्य सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम, 1957 के नियम 4(3)(बी) पर विचार करते समय, जिसमें वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर

---

5 (1973) 2 एससीसी 836
6एआईआर 1968 एससी 1113

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चयन द्वारा पदोन्नति की आवश्यकता होती है, इस न्यायालय ने देखा है नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों में से पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति की जानी चाहिए। यह बताया गया कि जहां पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होती है, वहां अधिकारी केवल अपनी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है और यदि वह उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे छोड़ दिया जा सकता है और उससे कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया जा सकता है।

18. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पदोन्नति के मामले में "वरिष्ठता-सह-योग्यता" का मानदंड यह बताता है कि प्रशासन की दक्षता के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता को देखते हुए, वरिष्ठ, भले ही कम मेधावी हों, को प्राथमिकता मिलेगी और योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूनतम आवश्यक योग्यता का आकलन करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी आवश्यक न्यूनतम मानक निर्धारित कर सकता है और उस कर्मचारी की योग्यता के मूल्यांकन का तरीका भी निर्धारित कर सकता है जो पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए पात्र है। ऐसा मूल्यांकन सेवा रिकॉर्ड और साक्षात्कार के आधार पर प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर अंक प्रदान करके और न्यूनतम अंक निर्धारित करके किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नत करने का अधिकार देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. बी.वी. सिवैया (सुप्रा) में निर्धारित कानून के सिद्धांत को राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ पालन किया गया है और इसे पैराग्राफ 11 और 13 में निम्नानुसार रखा गया है: -

"11. यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता का सिद्धांत, "वरिष्ठता" के सिद्धांत और "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत से भिन्न है। जहां पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होती है, वहां योग्यता की कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन जहां पदोन्नति वरिष्ठता-

सह-योग्यता के सिद्धांत पर होती है, वहां पदोन्नति केवल वरिष्ठता के संदर्भ में स्वचालित नहीं होती है। योग्यता भी अहम भूमिका निभाएगी. वरिष्ठता-सह-योग्यता की मानक विधि फीडर ग्रेड (निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और सेवा की अवधि वाले) के सभी पात्र उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक योग्यता के मूल्यांकन की प्रक्रिया के अधीन करना है और फिर उन उम्मीदवारों को पदोन्नत करना है जो वरिष्ठता के क्रम में न्यूनतम आवश्यक योग्यता रखते हैं। पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का आकलन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जा सकता है या एक साक्षात्कार द्वारा या पिछले वर्षों के दौरान उनके कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन द्वारा, या उपरोक्त दो या तीनों तरीकों के संयोजन से। न्यूनतम योग्यता कैसे सुनिश्चित की जाए, इसका कोई सख्त नियम नहीं है। जब तक अंतिम पदोन्नति वरिष्ठता पर आधारित होती है, तब तक बुनियादी आवश्यकता के रूप में न्यूनतम आवश्यक योग्यता सुनिश्चित करने की कोई भी प्रक्रिया वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्रक्रिया जिसके तहत फीडर पदों पर न्यूनतम आवश्यक योग्यता रखने वाले योग्य उम्मीदवारों को पहले सुनिश्चित किया जाता है और उसके बाद, वरिष्ठता के अनुसार सख्ती से पदोन्नति की जाती है, न्यूनतम आवश्यक योग्यता रखने वालों में से "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के सिद्धांत के अनुपालन के रूप में मान्यता और स्वीकार किया जाता है। वरिष्ठता-सह-योग्यता के नियम का उल्लंघन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां न्यूनतम आवश्यक योग्यता का आकलन करने के बाद, न्यूनतम आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में से योग्यता के आधार पर (वरिष्ठता के बजाय) पदोन्नति की जाती है। यदि न्यूनतम आवश्यक योग्यता के मूल्यांकन के लिए अपनाए गए मानदंड प्रामाणिक हैं और अनुचित नहीं हैं, तो वरिष्ठता सह-योग्यता के सिद्धांत के विपरीत होने के कारण इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। हम तदनुसार मानते हैं कि उच्च पद के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना, वरिष्ठता-सह-योग्यता द्वारा पदोन्नति की अवधारणा का उल्लंघन नहीं है।

15. हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड और अन्य बनाम

सीमा शर्मा और अन्य के मामले में[7], सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने "योग्यता-सह-वरिष्ठता" और "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के सिद्धांतों के बीच अंतर को इंगित किया। इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया: -

> "7. न्यायालय का मानना है कि योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत और वरिष्ठता-सह-योग्यता का सिद्धांत दो पूरी तरह से अलग सिद्धांत हैं।
>
> 8. योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत योग्यता और क्षमता पर अधिक जोर देता है और जहां पदोन्नति इस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है वहां वरिष्ठता कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, वरिष्ठता को तब महत्व दिया जाना चाहिए जब पदोन्नत होने वाले उम्मीदवारों के बीच योग्यता और क्षमता कमोबेश बराबर हो।
>
> 9. दूसरी ओर, जहां तक वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत का सवाल है, यह वरिष्ठता को अधिक महत्व देता है और किसी वरिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि संबंधित व्यक्ति उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए योग्यता के आधार पर पूरी तरह से अयोग्य नहीं पाया जाता है। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कर्मचारी की सेवा की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए (देखें)। लेखक, सी.एन. वी कावेरी ग्रामीण बैंक[8])।"

16. उच्चतम न्यायालय द्वारा यू.वी. के मामले में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव रखा गया है। महाडकर बनाम सुभाष आनंद चव्हाण और अन्य[9] और पलुरे भास्कर राव और अन्य बनाम पी. रामसेशिया और अन्य के मामले में भी[10].

7(2009) 7 एससीसी 311

8(1996) 9 एससीसी 677
9(2016) 1 एससीसी 536
10 (2017) 5 एससीसी 783

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. बी.वी. सिवाया (सुप्रा) और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (सुप्रा) में वरिष्ठता-सह-योग्यता और योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांतों के संबंध में बताए गए अंतर को सुजाता कोहली बनाम रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ पालन किया गया था।[11].

18. उपरोक्त निर्णयों (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांत के आलोक में मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, यह काफी स्पष्ट है कि तत्काल मामले में, स्वीकार्य और निर्विवाद रूप से, कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर पदोन्नति के लिए मानदंड योग्यता-सह-वरिष्ठता थी और तदनुसार, डीपीसी ने याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं नंबर 4 सहित सात उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए भी आगे बढ़ाया। 6 और उस प्रक्रिया में, डीपीसी ने उक्त पदोन्नति पद (कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए) पर विचार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक के रूप में 70 अंक तय किए और तुलनात्मक मूल्यांकन पर, यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 96 अंक हासिल किए यानी उत्तरदाताओं संख्या 4 से अधिक। 6 में से प्रत्येक को 90 अंक मिले, लेकिन उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 / एसईसीएल ने उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 को कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पदोन्नति पद पर पदोन्नत किया, हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ता की तुलना में कम अंक प्राप्त किए और याचिकाकर्ता को यह कहते हुए पदोन्नत नहीं किया कि उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 जूनियर कंसोल ऑपरेटर टी एंड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11 (2020) 14 एससीसी 58

एस ग्रेड-बी के पद पर याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे, और इस तरह वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को लागू किया, जबकि लागू सिद्धांत था। योग्यता-सह-वरिष्ठता. एक बार जब तुलनात्मक योग्यता का मूल्यांकन किया गया है और याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो याचिकाकर्ता उक्त पदोन्नति पद पर विचार किए जाने और पदोन्नत होने का हकदार होगा, क्योंकि उसने उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उसकी पदोन्नति के बाद, यदि पद अभी भी खाली है तो उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 पर विचार किया जा सकता था और पदोन्नत किया जा सकता था। इस प्रकार, एसईसीएल/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 डीपीसी कार्यवाही के अंतिम चरण में यह मानकर कानूनी त्रुटि में पड़ गए कि याचिकाकर्ता पदोन्नति का हकदार नहीं है, हालांकि उन्होंने 96 अंक प्राप्त किए हैं और उत्तरदाता संख्या 4 से 6 प्रत्येक ने 90 अंक प्राप्त किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसलिए, याचिकाकर्ता 4-9-2008 से कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर विचार और पदोन्नति का हकदार होगा, जिस तारीख को उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 को पदोन्नत किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता को अब 25-1-2011 से पदोन्नत किया गया है, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के पद पर याचिकाकर्ता के विचार और पदोन्नति का परिणामी आदेश एसईसीएल / उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि याचिकाकर्ता 4-9-2008 से उक्त पदोन्नति पद पर पदोन्नति का हकदार

है और उसे उत्तरदाताओं संख्या 4 से 6 से ऊपर रखा जाएगा। याचिकाकर्ता भी सभी के लिए हकदार होगा। कंसोल के पद पर वरिष्ठता सहित परिणामी लाभ ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए 4-9-2008 से 25-1-2011 तक, उस तारीख को उन्हें कंसोल ऑपरेटर टी एंड एस ग्रेड-ए के उक्त पद पर पहले ही पदोन्नत किया जा चुका था।

20. रिट याचिका को यहां ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एसडी/-
(संजय के अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।